

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।**

पत्रांक: 1188 / वाद संख्या सी-0412 / 2021

दिनांक 22.07/2023

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री यश प्रकाश/शेखर अग्निहोत्री/हितबद्ध व्यक्ति,
विस्थापित लक्कड घाट,
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विपक्षी द्वारा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना विस्थापित लक्कड घाट, ऋषिकेश, जिला देहरादून में स्थल पर लगभग 25फीट गुणा 40फीट में स्टिफ्ट प्लस 4 फ्लैट के निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अवैध निर्माण का वाद संख्या-सी-0412/2021 योजित करते हुए क्रमशः निर्माण कार्य रोकें एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 11-06-2021 निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18-06-2021 की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित रहें। तत्पश्चात भी प्रश्नगत वाद में विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वामित्व अभिलेख/स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी। विपक्षी को कार्यालय पत्रांक-1152 दिनांक 18-07-2023 के द्वारा सीलबन्द हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 21-07-2023 नियत की गयी थी। नियत तिथि को न तो विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए और न ही जबाब/अभिलेख दिये गये। स्थल निरीक्षण कराने पर पाया गया कि विपक्षी द्वारा स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य को कई बार रूकवाने के बाद भी विपक्षी द्वारा लगातार चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर आन्तरिक फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है साथ ही पंचम तल पर आंशिक निर्माण में भी फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है जिसको मौके पर तत्काल प्रभाव से रूकवा दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/स्वीकृति आतिथि तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निर्माण कार्य यथावत रोकने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

-आदेश:-

श्री यश प्रकाश/शेखर अग्निहोत्री/हितबद्ध व्यक्ति, विस्थापित लक्कड घाट, ऋषिकेश, जिला देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये गये/किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोकें जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 25/7/2023 को ही पूर्वाह्न 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वाह्न 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।